INDER SINGH RAWAT GOVT. DEGREE COLLEGE PAUKHAL

DISTRICT - TEHRI GARHWAL

(AFFILIATED BY SRIDEV SUMAN UTTARAKHAND UNVERSITY)

इन्दर सिंह रावत राजकीय महाविद्यालय पौखाल

जनपद–टिहरी गढ़वाल

(श्रीदेव सुमन उत्तराखण्ड़ विश्वविद्यालय से संबद्धता)

Email. **gdcpaukhal.info@gmail.com** Website: - gdcpaukhal.ac.in Contact: 9536540638

राष्ट्रीय छात्रवृत्ति पोर्टल (उत्तराखण्ड)

(आवश्यक सूचना)

राजकीय महाविद्यालय पौखाल, टिहरी गढ़वाल में अध्ययनरत समस्त अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति, अन्य पिछडा वर्ग तथा विकलांग वर्ग के छात्र–छात्राओं को सूचित किया जाता है कि सत्र 2022–23 हेतु उत्तराखण्ड़ राज्य दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजना हेतु ऑनलाईन आवेदन भरने प्रारम्भ किये जा चुके है। अतः आप सभी को आदेशित किया जाता है कि निम्नलिखित आवश्यक प्रमाण पत्रों सहित यथाशीघ्र आनलाईन आवेदन अनिवार्य रूप से भरना सूनिश्चित करें।

बी0ए0 प्रथम वर्ष के छात्र छात्राऐं पोर्टल **https://scholarships.gov.in/** में जाकर नया पंजीकरण करेंगें। जबकि बी0ए0 द्वितीय वर्ष तथा बी0ए0 तृतीय वर्ष के छात्र छात्राऐं **https://scholarships.gov.in/** पोर्टल में जाकर पुर्व में भरें फार्म का **Renewal** नवीनीकरण करेंगें। आनलाईन आवेदन फार्म भरने के पश्चात पूर्ण रूप से भरा फार्म अन्य आवश्यक प्रमाणपत्रों के साथ महाविद्यालय कार्यालय में 15 सितम्बर तक आवश्यक रूप से जमा करेंगें।

अनुसूचित जाति, अनुसूचित जनजाति तथा अन्य पिछड़ी जाति के छात्र–छात्राओं हेतु ऑनलाईन दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत अध्ययनरत छात्र/छात्राओं को छात्रवृत्ति निम्न मानकों के अनुसार प्रदान की जाती है–

छात्रिवत्ति आवेदन के लिए पात्रताः

- उत्तराखण्ड राज्य का मूल/स्थायी निवासी छात्र/छात्रा राज्य अथवा राज्य से बाहर संचालित मान्यता प्राप्त विद्यालय/विश्वविद्यालय/तकनीकी/चिकित्सकीय/प्रबन्धन संस्थान में संस्थागत छात्र के रूप में अध्ययनरत हो।
- छात्र/छात्रा ने विगत वर्ष की परीक्षा को उत्तीर्ण कर लिया हो।
- छात्र/छात्रा एक ही शैक्षणिक वर्ष में एक से ज्यादा संस्थानों में अध्ययनरत न हो।
- अनुसूचित जाति/अनुसूचित जनजाति के छात्र–छात्राओं के माता–पिता व अभिभावकों की समस्त स्रोतों से पारिवारिक वार्षिक आय रू0 2,50,000/– (दो लाख पचास हजार रूपए मात्र), अन्य पिछड़ी जाति के छात्र–छात्राओं के माता–पिता व अभिभावकों की समस्त स्रोतों से पारिवारिक वार्षिक आय रू0 1,50,000/– (एक लाख पचास हजार रूपए मात्र)
- छात्रवृत्ति हेतु आवेदन करने वाले छात्र/छात्रा ऑनलाईन आवेदन फॉर्म भरते समय सही संस्थान जिसमें अध्ययनरत हों, का ही चयन करें ।
- प्रदेश अथवा प्रदेश से बाहर स्थित विश्वविद्यालयों/संस्थानों में अध्ययनरत छात्र–छात्राओं द्वारा प्रस्तुत आवेदन पत्र में भरी जानकारी यदि निर्धारित मानकों के अनुरूप है तो सम्बन्धित संस्थान अपने स्तर से छात्र/छात्रा का छात्रवृत्ति हेतु ऑनलाईन आवेदन पत्र सम्बन्धित जिले के जिला समाज कल्याण अधिकारी को प्रेषित करेगें, जिस जिले का छात्र/छात्रा मूल/स्थायी निवासी है।
- छात्रवृत्ति हेतु पात्र होने की स्थिति में सम्बन्धित जिला समाज कल्याण अधिकारी द्वारा छात्रवृत्ति तथा शुल्क की धनराशि सम्बन्धित छात्र/छात्रा के नाम से संचालित राष्ट्रीयकृत बैंक के सी०बी०एस० खाते में ऑनलाईन स्थानान्तरित करने की व्यवस्था है।
- यह छात्रवृत्ति भारत सरकार/राज्य सरकार द्वारा निर्धारित नियमावली के अंतर्गत प्रदान की जाती है।
- अनुसूचित जाति/जनजाति दशमोत्तर छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत छात्र–छात्राओं को छात्रवृत्ति का भुगतान सर्वप्रथम शासकीय एवं सहायता प्राप्त विद्यालयों में अध्ययनरत छात्र–छात्राओं को किया जाता है । अशासकीय/व्यवसायिक अल्पसंख्यक शैक्षणिक संस्थानों को प्राथमिकता देते हुए अशासकीय विद्यालय के छात्रों तथा व्यवसायिक शैक्षणिक संस्थानों में अध्ययनरत ऐसे छात्र जिनका प्रवेश मैनेजमेन्ट कोटे के अन्तर्गत हुआ हो, ऐसे छात्रों को धन की उपलब्धता के आधार पर निर्धनतम छात्र से प्रारम्भ करते हुए अरोही क्रम में छात्रवृत्ति का भुगतान सुनिश्चित किया जाता है। छात्रवृत्ति/फीस प्रतिपूर्ती का सर्वप्रथम उत्तराखण्ड राज्य में अध्ययनरत पात्र छात्र–छात्राओं को किया जाता है, तदोपरान्त धनराशि की उलब्धता के आधार पर उत्तराखण्ड के अन्य प्रदेशों में अध्ययनरत छात्र–छात्राओं को छात्रवृत्ति का भुगतान सुनिश्चित किया जाता है।
- अन्य पिछड़ा वर्ग दशमोत्तर छात्रवृत्ति फण्ड लिमिटेड योजना है अतः इस योजना के अन्तर्गत, तथा उत्तराखण्ड तकनीकी शिक्षा परिषद .ई.टी.सी.एन/.आई.सी.एम/ई.टी.सी.आई.ए आदि कोर्सों में अध्ययनरत केवल ऐसे छात्र–छात्राओं को लाभान्वित किया जाएगा जिनका प्रवेश काउंसलिंग के माध्यम से हुआ हो न की छात्राओं का प्रवेश मैनेजमेंट कोटे से हुआ हो।

दशमोत्तर अनुसूचित जाति/जनजाति, अन्य पिछड़ी जाति तथा दिव्यांग छात्रवृत्ति योजनान्तर्गत छात्रवृत्ति आवेदन हेतु स्वप्रमाणित आवश्यक दस्तावेज–

- माता–पिता/अभिभावक का आय प्रमाण पत्र (1 वर्ष से अधिक पुराना न हो)
- जाति प्रमाण पत्र
- मूल निवास/स्थायी निवास प्रमाण पत्र
- हाई स्कूल की अंक तालिका
- पिछली उत्तीर्ण कक्षा की अंक तालिका/प्रमाण पत्र
- वर्तमान शैक्षणिक संस्थान का बोना फाईड प्रमाण पत्र
- सी०बी०एस० खाते की बैंक पासबुक
- काउंसलिंग प्रमाण पत्र (अन्य पिछड़ी जाति छात्रवृत्ति हेतु)
- दिव्यांगता प्रमाण पत्र (दिव्यांग छात्रवृत्ति हेतु)

https://scholarships.gov.in/

आनलाईन फार्म इस वैबसाईट में जाकर भरें

अन्य जानकारी के लिये **www.ubse.uk.gov.in/** वैबसाईट में जाकर **SCHOLARSHIP** वाले ऑप्शन में **Click** करें ।